# OKMITES ALUMNI ASSOCIATION SOCIETY

## विधान नियमावली

1. **संस्था का नाम** : इस संस्था का नाम **OKMITES ALUMNI ASSOCIATION SOCIETY** रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय एवं : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय पता–1-A, SPECIAL IPIA, ANANTPURA , KOTA (RAJASTHAN) 324005 में है।**

**कार्यक्षेत्र** : इसका कार्यक्षेत्र कोटा जिला तक सीमित रहेगा।

3. **उद्देश्य : जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस संस्था का गठन किया गया है, वे निम्न प्रकार है:–**

उपरोक्त सोसाइटी की स्थापना ओम कोठारी फाउंडेशन संस्थान के दिशा–निर्देशानुसार की जा रही है, जिसके उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है। OKMITES ALUMNI ASSOCIATION SOCIETY मे संरक्षक माननीय डायरेक्टर, ओम कोठारी फाउंडेशन संस्थान, कोटा (पदेन) होगें। भविष्य में सोसायटी के संगठन, उद्देश्य आदि में परिवर्तन OKMITES ALUMNI ASSOCIATION SOCIETY की कार्यकारिणी सर्वप्रथम सोसायटी के संरक्षक माननीय डायरेक्टर, ओम कोठारी फाउंडेशन संस्थान, कोटा (पदेन) के अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेगी एवं उनके पूर्वानुमोदन उपरान्त ही इस विषय में अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करेगी। कार्यकारिणी के सम्बन्ध में होने वाले विवादों का निपटारा सक्षम सिविल न्यायालय में उपचार उपलब्ध होगा।

1. ओम कोठारी फाउंडेशन संस्थान के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानो में अध्ययनरत छात्रों एवं पूर्व छात्रों में मेलजोल बढ़ाना तथा अच्छे सम्बन्धों को प्रोत्साहित करना एवं एलुमनी न्यूज लेटर, जर्नल्स आदि प्रकाशित करना है।
2. ओम कोठारी फाउंडेशन संस्थान के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानो की शैक्षणिक गतिविधियों में सहयोग करना तथा सक्रिय गतिविधियाँ आयोजित कर संस्थान के हितों के संवर्धन एवं शैक्षणिक उन्नयन में योगदान देना है।
3. ओम कोठारी फाउंडेशन संस्थान के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानो में अध्ययनरत छात्रों को सेटअप के माध्यम से सूचनाएं एवं मार्गदर्शन प्रदान करना, श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति एवं पदकों को प्रायोजित करवाना है।
4. ओम कोठारी फाउंडेशन संस्थान के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानो के पूर्व छात्रों से, जनसहयोग, सांसद/विधायक विकास कोष आदि के सहयोग से वित्तीय एवं गैर वित्तीय संसाधन जुटाने में सहयोग करना है।
5. उद्योग–अकादमिक सहयोग (Industry-Academia Collaboration) समान उद्देश्यों वाली समकक्ष संस्थाओं के सहयोग से संस्था के छात्रों के लिए रोजगारपरक, कौशल विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रमों का संचालन ओम कोठारी फाउंडेशन संस्थान के मार्गदर्शनानुसार करना है।
6. ओम कोठारी फाउंडेशन संस्थान के प्रशासन द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का सम्पादन करना है।

---

**उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में संस्था का कोई लाभ निहित नहीं है।**

| | | |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | सचिव | रोहित गोयल<br>कोषाध्यक्ष |

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar Meena
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.02.25 18:36:26 IST
Reason: Approved
Location: Kota

**4. सदस्यता :–** **निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:–**

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हो।
3. पागल, दीवालिया न हो।
4. संस्था के उद्धेश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।
6. ओम कोठारी फाउंडेशन संस्थान के समस्त पूर्व छात्र जिन्होने ओम कोठारी फाउंडेशन संस्थान द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानो के किसी कोर्स/पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो व उत्तीर्ण रहे हो तथा संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हो।

**5. सदस्यों का वर्गीकरण :** **संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे:–**

संरक्षक
विशिष्ठ
सम्माननीय
साधारण
(जो लागू न हो उसे काट दीजिये)

**6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त** **उप नियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार व चन्दा –शुल्क व चन्दा देय होगा:–**

1. संरक्षक राशि.... **5100**........ वार्षिक
2. विशिष्ठ राशि..... **2100**.........वार्षिक
3. सम्माननीय राशि ... **2000**.........वार्षिक
4. साधारण राशि ....**1000**........वार्षिक

उक्त राशि का एक मुश्त अथवा रू **नियमानुसार** आजन्म की दर से जमा कराई जा सकेगी।

**7. सदस्यता से निष्कासन:–संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:–**

1. मृत्यु होने पर
2. त्याग पत्र देने पर
3. संस्था के उद्धेश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा ।

---

**उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में संस्था का कोई लाभ निहित नहीं है।**

For Ok Mites Alumni Association Society
President
**अध्यक्ष**

Secretary
**सचिव**

For Ok Mites Alumni Association Society
**कोषाध्यक्ष**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar Meena
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.02.25 18:36:26 IST
Reason: Approved
Location: Kota

**8. साधारण सभाः–**

संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

**9. साधारण सभा केः– अधिकार और कर्तव्य**

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे–

1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये की समीक्षा करना।
4. कार्यकारणी के सदस्य अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को
5. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)

**10. साधारण सभा :– की बैठकें**

1. साधारण सभा की एक बैठक प्रत्येक वर्ष में अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन ईमेल, मोबाइल, मैसेज के जरिये भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में अध्यक्ष सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से कोई भी दो की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इनके सहित साधारण सभा के 1/3 सदस्यों का कोरम आवश्यक होगा। लेकिन विचारणीय विषय वही रहेंगे जो पूर्व एजेंडा में थे।
5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक ना बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधाकि व सर्वमान्य होंगे।

---

**उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में संस्था का कोई लाभ निहित नहीं है।**

For Ok Mites Alumni Association Society — President — **अध्यक्ष**

Secretary — **सचिव**

For Ok Mites Alumni Association Society — **कोषाध्यक्ष**

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar Meena
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.02.25 18:36:26 IST
Reason: Approved
Location: Kota

**11.कार्यकारिणी का गठनः–** संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगेः–

**1. अध्यक्ष–1** **2. सचिव–1**

**3. कोषाध्यक्ष– 1** **4. सदस्य–6**

**इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 03 पदाधिकारी व 06 कार्यकारी सदस्य सहित कुल 09 सदस्यीय समिति होगी।** (उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पद नाम परिवर्तन किये जावे, तो यहां अंकित करे। कम रखना चाहे तो कम रख ले।)

**12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :**

1. संस्था की प्रबन्ध कारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेंगा।
2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेंगी।

**13. कार्यकारिणी के अधिकार :– और कर्तव्य** संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगेः–

1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

**14. कार्यकारिणी बैठकें:–**

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम **5** बैठकें अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी बुलाई जा सकती है।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

---

**उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में संस्था का कोई लाभ निहित नहीं है।**

For Ok Mites Alumni Association Society — President — **अध्यक्ष**

Secretary — **सचिव**

For Ok Mites Alumni Association Society — **कोषाध्यक्ष**

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar Meena
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.02.25 18:36:26 IST
Reason: Approved
Location: Kota

3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन के पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष में कोई भी दो की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इनके सहित कार्यकारिणी सभा के कोरम 1/3 सदस्यों का कोरम आवश्यक होगा लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेंडा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबंधकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना अनिवार्य होगा।

**15. प्रबन्धकारिणी पदाधिकारियों :–** के अधिकार एवं कर्तव्य

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगेः–

**1. अध्यक्षः**

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकें आहूत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

**2. सचिव :**

1. बैठकें आहूत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3. आय–व्यय पर नियंत्रण करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र व्यवहार करना।

---

**उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में संस्था का कोई लाभ निहित नहीं है।**

For Ok Mites Alumni Association Society
President
**अध्यक्ष**

Secretary
**सचिव**

For Ok Mites Alumni Association Society
**कोषाध्यक्ष**

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar Meena
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.02.25 18:36:26 IST
Reason: Approved
Location: Kota

7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

**3. कोषाध्यक्ष:**

1. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

**16. संस्था का कोषः–**

संस्था कोष निम्न प्रकार से संचित होगाः–

1. चन्दा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय अनुदान

1– उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जा जायेंगी।

2– अध्यक्ष/ सचिव /कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेनदेन संभव होगा।

**17. कोष सम्बन्धी :– विशेषाधिकार**

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगेः–

1. अध्यक्ष...... .... **100000/–** ...................... ..रू.
2. सचिव ............ . **50000/–**...........................रू.
3. कोषाध्यक्ष.......... **25000/–** ...........................रू.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

**18. संस्था का अंकेक्षणः–**

संस्था के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाएं को प्रस्तुत करना होगा।

---

**उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में संस्था का कोई लाभ निहित नहीं है।**

For Ok Mites Alumni Association Society | For Ok Mites Alumni Association Society

**अध्यक्ष** President | **सचिव** Secretary | **कोषाध्यक्ष**

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar Meena
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.02.25 18:36:26 IST
Reason: Approved
Location: Kota

| | |
|---|---|
| **19. संस्था के विधान में परिवर्तन व परिवर्द्धनः–** | संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा। |
| **20. संस्था का विघटनः–** | यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्धेश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेंगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। |
| **21. संस्था के रिकोर्ड का निरीक्षण :–** | **रजिस्ट्रार संस्थाएं कोटा** को संस्था के रिकोर्ड लेखे जोखे के निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी। |

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) **OKMITES ALUMNI ASSOCIATION SOCIETY** की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

**उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में संस्था का कोई लाभ निहित नहीं है।**

For Ok Mites Alumni Association Society — For Ok Mites Alumni Association Society

**अध्यक्ष** President — **सचिव** Secretary — **कोषाध्यक्ष**

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar Meena
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.02.25 18:36:26 IST
Reason: Approved
Location: Kota